

पत्रावली सं० २७/२०२१ सरकार बनाम दर्शन सिंह

आज्ञा का क्रमांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
5/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>दर्शन सिंह</u></p> <p>पुत्र श्री <u>नारायण सिंह</u> जाति <u>राजपूत</u></p> <p>निवासी <u>खजूरवाड़ा</u> में फसल <u>रबी/खरीफ</u></p> <p>संवत्/सन् <u>२०७७</u> में गांव/चक नं० <u>९३५८५</u></p> <p>के मु० नं० <u>११३९</u> में <u>२९३६</u> बीघा</p> <p>सिंचित व <u>३२८</u> असिंचित कुल <u>३९३६</u> बीघा</p> <p>बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बांधपूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>५०३०११</u></p> <p>गुणा पेनल्टी राशि रु० <u>११८६</u> अखरे रु० <u>११८६</u> अविशेषित की जाती है।</p> <p>विभागीय न्यायिक मात्र</p> <p>श्री अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क भुद्धा फसल को निलास करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि से बेदखल कर कच्चा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

दि २०/०२/२०२१ को पटवारी

पुस्त संख्या २११ की क्र. सं.

१४

फसल नं० ११८६

की मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकक्ष

उप तहसीलदार

तहसीलदार (राजस्व)

जिला सीकर

राजस्थान